—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 3/2023

उनवान

कमला पुत्र भैरू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. वन विभाग, जरियें जिला अधिकारी कार्यालय, जयपुर रोड, अजमेर। **(तर्क)**
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. तहसीलदार, अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

—— अप्रार्थीगण :— 2 जरिये अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल,
4 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 27.5.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.12 व 41 रकबा 0.12 आवेनकर्ता की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी प्रवेश करने हेतु ग्राम चाट सरदारपुरा के खसरा नम्बर 31 व 32 व ग्राम लच्छीपुरा तहसील अजमेर के हाल खसरा नम्बर 701/1356 गै.मु. पहाड, 711 गै.मु. रास्ता व 713 बारानी 3 में से होकर खसरा नम्बर 728 गै.मु. रास्ता में प्रवेश करता है। उक्त आाजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की भूमि में से होकर आवागमन का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के पास है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग प्रार्थी के पास उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नाम प्रकरण विचारण के दौरान तर्क किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चाट सरदारपुरा के खसरा नम्बर 31 वन विभाग के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 32 व ग्राम लच्छीपुरा के हाल खसरा नम्बर 701/1356 गै.मु. पहाड, 711 गै.मु. रास्ता व 713 बारानी 3 की आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश से प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व धारा 74 अजमेर विकास प्राधिकरण एक्ट व धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधान की पालना नही की गयी है। दिनांक 27.09.13 के हस्तांतरण आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। प्रकरण में प्रार्थी को जवाबकर्ता के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। प्राथिना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।
तहसीलदार नसीराबाद व अजमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 29 व 41 प्रार्थी की खातेदारी का है। ग्राम चाट सरदारपुरा के खसरा नम्बर 32व ग्राम ग्राम लच्छीपुरा तहसील अजमेर के हाल खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:25 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

701/1356 गै.मु. पहाड, 711 गै.मु. रास्ता व 713 बारानी 3 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 31 वन विभाग के नाम दर्ज है किन्तु खसरा नम्बर 31 में से रास्ता नही चाहने के कारण वन विभाग का नाम प्रकरण विचारण के दौरान तर्क किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 32 में से 160 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता लघुतम बताया गया है। भूमि को मौके पर समतल व रास्ते की आवश्यकता बतायी गयी है। इससे आगे के मार्ग के लिये तहसीलदार अजमेर ने रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार खसरा नम्बर 29 व 41 में ग्राम लच्छीपुरा की ओर से जाने हेतु लघुतम मार्ग यही है।खसरा नम्बर 701/1356 में से 92 मीटर लम्बा रास्ता प्रसतावित किया गया है जिसमें से 67 मीटर लम्बाई में मौके पर रास्ता है। 25 मीटर लम्बाई पर पास में बने माताजी के मन्दिर वालोनें तारबन्दी कर के बन्द कर दिया है। अन्य कोई वैकल्कि रास्ता नही बता गया है। उक्तानुसार प्रार्थी के पास कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में से रास्तें की भूमि के बदले नियमानुसार मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा भुगतान की जावेगी। मौका रिपोर्ट में भूमि की डी.एल.सी. दर स्पष्ट नही होने के कारण आॅन लाईन डी.एल.सी. दर शमिल मिसल की गयी। रास्ते हेतु वन विभाग की भूमि नही ली जानी है। अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि ग्राम लच्छीपुरा के हाल खसरा नम्बर 701/1356 गै.मु. पहाड, 711 गै.मु. रास्ता व 713 बारानी 3 की आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश से प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार रास्ता चाहा है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। अन्य कोई ठोस खण्डन पत्रावली पर नही है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा पर मार्गाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लच्छीपुरा, तहसील अजमेर के हाल खसरा नम्बर 713 में से 0.01 हैक्ट. व 701/1356 में से 0.0550 हैक्ट. भूमि व ग्राम चाट सरदारपुरा तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 32 में से 160 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार अजमेर रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 2 को 28353/अक्षरे अठाईस हजार तीन सौ तरेपन रूपये भुगतान होने के बाद व तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 2 को 79584/अक्षरे उन्यासी हजार पांच सौ चौरासी रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:25 IST
Reason: SelfAttested